न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 55/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

श्री देवचन्द पुत्र श्री जगन्नाथ जाति–गूजर निवासी मालबमोरी तहसील–मांगरोल जिला बारां (राजस्थान) (अप्रार्थी)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

2. श्री पिंकेश जगरवाल, अभिभाषक (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 25.08.2021

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थी के खाते विवादित आराजी ख0नं0 120/1661 रकबा 1.24 है0, 908/1703 रकबा 2.16 है. किस्म माल I वाके ग्राम मालबमोरी तहसील–मॉगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 313 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नंबर 418 मि. 41 बीघा 5 बिस्वा रहे है, जिसके सम्वत् 2044–63 जमाबन्दी में खातेदार श्री गोपीलाल पुत्र राधाकिशन, जवाहरलाल पुत्र रामप्रसाद कौम छीपा साकिन सीसवाली तथा देवचन्द पुत्र जगन्नाथ जाति–गूजर सा.देह के खाते दर्ज है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 313 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नंबर 418 मि. 41 बीघा 5 बिस्वा सेटलमेंट बन्दोबस्त सम्वत् 2014–23 में किस्म तलाब दर्ज है। जिसका आवंटन/नियमन अप्रार्थी को किया गया है। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:04:53 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004

जिला कलेक्टर
बारां (राज.)

अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये तथा पर्याप्त समय दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 16.09.2019 को जवाब अप्रार्थी बन्द किया गया।

3— प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से पर्याप्त समय दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रार्थनापत्र पेश नहीं होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की सुनी गयी।

5— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि अप्रार्थी को ग्राम मालबमोरी की आराजी साबिक खसरा नम्बर 313 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नंबर 418 मि. 41 बीघा 5 बिस्वा किस्म तलाब में से भूमि आवंटित हुयी थी। जिस वक्त भूमि आवंटित हुयी है उस वक्त विवादित आराजी की किस्म तलाब थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 120/1661 रकबा 1.24 है0, 908/1703 रकबा 2.16 है. किस्म माल–I बने है जो वर्तमान में अप्रार्थी के खाते दर्ज है।यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को तलाब दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

6— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि [illegible] भूमिहीन कृषक होने से, उन्हे उक्त आराजी आवंटित हुई थी। वक्त आवंटन उक्त [illegible] काबिल काश्त थी जिस कारण उक्त आराजी आवंटित की गयी थी तथा तत्समय [illegible] दिया गया था। इसलिये पेरोकार सरकार का यह कहना कि वक्त आवंटन उक्त आराजी तलाब थी। पूर्णतया निराधार है। राजस्व रेकार्ड में यदि तलाब दर्ज है तो रेकार्ड दुरूस्ती का मामला बनता है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी आवंटन पश्चात् से बदस्तूर काबिज काश्त हैं। अप्रार्थी उक्त आराजी को काश्त कर परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:04:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

जिला कलेक्टर

ख0नं0 120 / 1661 रकबा 1.24 है0, 908 / 1703 रकबा 2.16 है. किस्म माल–I जो वर्तमान में सम्वत् 2067–70 जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थी के खाते दर्ज है। आवंटित आराजी पर अप्रार्थी को खातेदारी मिल चुकी है। खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के पश्चात् आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। ऐसे विधि के प्रावधान तथा उच्च न्यायालय की नजीरें है।

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार,मॉगरोल द्वारा 60 वर्ष पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन / नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आवंटन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाहीं प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी को उक्त आराजीयात् का विधि सम्मत व प्रक्रिया के तहत आवंटन हुआ है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिये रेफरेन्स प्रार्थनापत्र निरस्त फरमाया जावे।

7– हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014–23 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 313 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नंबर 418 मि. 41 बीघा 5 बिस्वा किस्म तलाब खाता सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थी को आवंटन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये नम्बर खसरा नम्बर 120 / 1661 रकबा 1.24 है0, 908 / 1703 रकबा 2.16 है. किस्म माल–I बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी को जिस वक्त भूमि आवंटित की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी तलाब खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन नियम विरूद्व हुआ है।

8– अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 313 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नंबर 418 मि. 41 बीघा 5 बिस्वा किस्म तलाब खाता सरकार सेटलमेन्ट पूर्व जमाबन्दी संवत 2014–23 में दर्ज थी। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 120 / 1661 रकबा 1.24 है0, 908 / 1703 रकबा 2. 16 है. किस्म माल–I बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म तलाब दर्ज थी जिसका आवंटन अप्रार्थी को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536 / 03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन निरस्त [illegible] के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:04:53 IST
Reason: SelfAttested

9– परिणास्वरूप, प्रार्थी जये तहसीलदार, मॉगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान में वाके ग्राम मालनोरी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 120 / 1661

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

रकबा 1.24 है0, 908/1703 रकबा 2.16 है. किस्म माल–ा, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 313 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नंबर 418 मि. 41 बीघा 5 बिस्वा किस्म तलाब से बने है जिसका अप्रार्थी को गलत रूप से आवंटन हुआ है, आवंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मॉगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

10– तहसीलदार, मॉगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के खाते में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 120/1661 रकबा 1.24 है0, 908/1703 रकबा 2.16 है. किस्म माल–ा वाके ग्राम मालबमोरी तहसील–मॉगरोल की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण व खुर्द–बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 25.08.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:04:53 IST
Reason: SelfAttested